2638

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the

Sub :- जनपद कुल्लू में कुल्लू वन प्रभाग के अन्तर्गत 2.5 मेगावाट Lower Aleo Shep विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 0.7389 हे0 वन भूमि का मेसर्स बारागढ हाइड्रो पॉवर कम्पनी को प्रत्यावर्तन के संबाध में।

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB326/2013-CHA**/ 131 दिनांक **16.05.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.7389** hectares वन भूमि को Baragarh Hydro Power Co. Pvt. Ltd. Lower Aleo, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P., को प्रत्यावर्तन एवं 128 वृक्षों के पातन की विधिवत उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के दुगुन वन भूमि अर्थात 2.064 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

3 Right of way को 5.6 मीटर तक सीमित रखा जायेगा और 5.6 मीटर RoW के साथ केवल 0.7389 हे0 वन भूमि ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयोग में लायी जाएगी।

4 अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश पत्र संख्या **5–3 / 2007– एफ. सी. दिनांक 05–02–2009** के तहत में दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढोत्तरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एव भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

6 प्रयोक्ता एजैंसी द्वारा डम्पिंग साइट का रिक्लेमेशन योजना कायान्वित किया जाएगा। वन मण्डल अधिकारी निजी तौर पर इस शर्त के कियान्वयन को सुनिश्चित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि मलबा स्थल का उचित रूप से सुधार कर दिया गया है।

7 मलबे का प्रयोग स्थानिय रूप से पुश्ता–दिवार (Retaining Wall) के पीछे गड्ढों को भरने/ढलानों के सुधार के लिए किया जायेगा। इसे पहाडी ढलान के नीचे बिल्कुल नहीं गिराया जायेगा तथा न ही नालों आदि में गिराया जाएगा।

8 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

9 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस--पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवंज जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

10 प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

S/FCA & APCCF (FCA)

PCCF 9/6

प्र0मु0अ0व0 हि0प्र0
पावती सं0 695
दिनांक 11/6/14

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ को रसोई गैस/ किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

13 प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जाएगा।

14 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

15 प्रयोक्ता अभिकरण के वयय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा अक्षांस एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगें प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखिनी होगी। इसकी जानकारी क्षेत्रिय कार्यालय को भी प्रदान की जाएगी।

16 निर्माण कर्राय के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

17 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असताषजनक अनुपालन होने की स्थिति मे केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, District Kullu, H.P.

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the, 9-6-14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests. MoEF. Paryavaran Bhawan. C.G.O. Complex. Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
3. The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh. Shimla-171001, w.r.t his letter No. Ft. 48-2638/2012 (FCA) dated 30-04-14 for information & necessary action.
4. The Deputy Commissioner, Kullu, Himachal Pradesh .
5. CF,Kullu /DFO, Kullu Forest Division, Distt. Shimla, H.P.
6. M/s Baragarh Hydro Power Co. Pvt. Ltd, Lower Aleo, Tehsil- Manali, Distt. Kullu, H.P
7. Guard File.

(Prakasha Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177–2628481,9418455573